[29/7/2022]

प्रश्न सं. [क. 1331]

अता० प्रश्न क्रमांक => 1331

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-2/2022/नियम/चार भोपाल, दिनांक 06 मई, 2022

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय - शासकीय कार्यालयों की साफ सफाई, व्यवस्था हेतु प्रबंध ।

संदर्भ- वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-6/नियम/चार, भोपाल दिनांक 06 मई, 2011.

***

राज्य सरकार के कुछ विभागों में कार्यालयों की साफ सफाई हेतु कर्मचारी उपलब्ध न होने से उत्पन्न कठिनाईयों के समाधान की दृष्टि से संदर्भित ज्ञापन में निहित शर्तों के अधीन विभागों को प्रदत्त आकस्मिक व्यय के बजट प्रावधान के अंतर्गत कार्यालय प्रमुखों द्वारा आवश्यकतानुसार सफाई की उपयुक्त व्यवस्था हेतु दरों का निर्धारण किया गया है ।

2/ समय व्यतीत होने के साथ मूल्यों में आई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2011 में निर्धारित दरों को राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया गया है :-

क्रमांक	क्षेत्रफल	वर्तमान दर	पुनरीक्षित दर राशि प्रतिमाह
(i)	2000 वर्गफीट तक निर्मित क्षेत्रफल के कार्यालयों के लिए साफ-सफाई पर व्यय करने की अनुमति होगी ।	रूपये 1500/-	रूपये 2730/-
(ii)	2000 वर्गफीट से अधिक परंतु 5000 वर्गफिट से कम निर्मित क्षेत्रफल वाले कार्यालयों के लिए साफ-सफाई पर व्यय किये जाने की अनुमति होगी।	रूपये 3000/-	रूपये 5460/-
(iii)	5000 वर्गफीट से अधिक निर्मित क्षेत्रफल वाले कार्यालयों के लिए प्रति 100 (सौ) वर्गफिट तक सफाई पर व्यय का प्रावधान होगा ।	रूपये 60/-	रूपये 109/-

अनु. अधिकारी गृह पु.
सी 3 (म.प्र.)

3/ उपर्युक्त व्यवस्था के लिए संदर्भित ज्ञाप दिनांक 28 जुलाई, 2010 में दर्शित शर्तें यथावत रहेगी, जो त्वरित संदर्भ के लिए पुनः उद्‌धृत हैं :-

"उपरोक्त व्यय विभागों को प्रदत्त आकस्मिक व्यय के बजट प्रावधान से वहन किया जावेगा । कार्यालय प्रमुख अपनी आवश्यकतानुसार उक्त राशि की सीमा तक व्यय करते हुये सफाई की उपयुक्त व्यवस्था करेगें । किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि से नियमित तथा दैनिक वेतन पर कर्मचारी शासकीय सेवा में नहीं रखे जायेगें और न ही उक्त कार्य की सेवा शासकीय सेवा के अंतर्गत मानी जाएगी । यदि कार्यालय प्रमुख पूरे कार्यालय की सफाई, शौचालयों की सफाई व्यवस्था को वार्षिक ठेके पर देने का निर्णय लेते है तो इसलिये उपयुक्त शर्तें बनाकर उक्त व्यय सीमा के भीतर कार्यवाही कर सकते हैं ।

जिन कार्यालयों मे सफाई व्यवस्था हेतु पूर्व से ही पद स्वीकृत हैं एवं जिन पर नियमित अथवा दैनिक वेतन पर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, उन कार्यालयों के लिए ये आदेश प्रभावशील नहीं होंगे। सफाई व्यवस्था हेतु स्वीकृत पदों पर कार्यरत कर्मचारी की सेवा निवृत्ति अथवा अन्य किसी स्थिति में पद रिक्त होने पर, कार्यालय प्रमुख इन आदेशों में उल्लेखित व्यवस्था अपने कार्यालय हेतु लागू कर सकते हैं ।"

4/ यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी.के.श्रीवास्तव)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

अनु. अधिकारी गृह पु.
डी 3 (म.प्र.)